विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो समीक्षाओं सहित 26 कंडिकाएँ हैं जिनमें ₹ 977.82 करोड़ से सन्निहित कर, ब्याज इत्यादि का नहीं/कम आरोपित किए जाने से संबंधित मामले हैं। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :

I. सामान्य

वर्ष 2009–10 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 35,526.83 करोड़ थी। कर राजस्व के ₹ 8,089.67 करोड़ और कर भिन्न राजस्व के ₹ 1,670.42 करोड़ को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल ₹ 9,760.09 करोड़ का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से ₹ 25,766.74 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का हिस्सा: ₹ 18,202.58 करोड़ और सहायता अनुदान: ₹ 7,564.16 करोड़) की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कर राजस्व में राज्य सरकार का अपना योगदान कुल राजस्व का मात्र 27 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.1.1)

दिसम्बर 2010 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं, जिनका निराकरण जून 2010 तक नहीं हो पाया था, की संख्या क्रमशः 4,150 एवं 21,968 थी जिसमें ₹ 7,876.02 करोड़ अंतर्निहित थे। 1,577 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, यद्यपि इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.2.1)

हमने वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की वर्ष 2009–10 के दौरान नमूना जाँच किया एवं 2,092 मामलों में ₹ 2399.68 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला। वर्ष 2009–10 के दौरान संबंधित विभागों ने 1,892 मामलों में अंतर्निहित ₹ 1,784.41 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया।

(कंडिका 1.5.1)

II. वाणिज्य कर

दस वाणिज्यकर अंचलों में 17 व्यवसायियों द्वारा ₹ 766.96 करोड़ की बिक्री/क्रय आवर्त को छिपाए जाने के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 610.40 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.10)

दो वाणिज्यकर अंचलों में व्यवसायियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित दावे के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 137.17 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गई।

(कंडिका 2.11)

सात वाणिज्यकर अंचलों में कर के गलत दर लगाए जाने का पता नहीं लगने के फलस्वरूप ब्याज एवं आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 28.51 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.12)

पटना पश्चिमी वाणिज्यकर अंचल में, यद्यपि ₹ 19.09 करोड़ मूल्य के वस्तुओं का अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण, विहित घोषणा प्रपत्रों द्वारा समर्थित नहीं था, फिर भी कम दर पर कर आरोपित किया गया। इसके फलस्वरूप ₹ 84.62 लाख का कर कम आरोपित हुआ।

(कंडिका 2.16)

पाँच वाणिज्यकर अंचलों में पाँच निबंधित व्यवसायियों द्वारा ₹ 238.39 करोड़ की अनुसूचित वस्तुओं के आयात/क्रय के छिपाए जाने के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 56.58 करोड़ का प्रवेश कर कम आरोपित किया गया।

(कंडिका 2.21)

III. राज्य उत्पाद

'राज्य उत्पाद राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण' की समीक्षा से निम्नलिखित त्रुटियाँ संसूचित हुईः

- विलम्ब से बंदोबस्त/अबंदोवस्त उत्पाद दुकानों का संचालन विभाग/बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड द्वारा नहीं किये जाने के कारण अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में सरकार को ₹ 134.29 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 3.6.9.1 एवं 3.6.9.2)

- न्यूनतम गारंटी मात्रा के विरूद्ध उत्पाद दुकानों द्वारा शराब के मासिक उठाव की समीक्षा के लिए तंत्र के अभाव के कारण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शराब के कम उठाव का पता नहीं चला, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 94.61 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.6.10)

- बकाये की वसूली हेतु नीलामवाद विलम्ब से दायर किये जाने के कारण ब्याज के रूप में ₹ 3.14 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.6.12.2)

- आंतरिक नियंत्रण कमजोर था, जैसा कि अल्प विभागीय निरीक्षण, महत्वपूर्ण पंजियों के संधारण का अभाव तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की कमी से साबित होता है।

(कंडिका 3.6.13)

IV मोटर वाहनों पर कर

छब्बीस जिला परिवहन कार्यालयों में, जुलाई 2002 एवं जून 2009 के दौरान 751 परिवहन वाहनों से संबंधित ₹ 19.52 करोड़ (अर्थदण्ड सहित) के बकाए कर का न तो वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था और न ही संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा बकायों की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की गई थी।

(कंडिका 4.8)

तीन जिला परिवहन कार्यालयों में, 14 परिवहन वाहनों को कर के अद्यतन भुगतान को सुनिश्चित किए बगैर ही योग्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया, फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित ₹ 54.76 लाख के कर की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, समुचित निरीक्षण के बिना इन वाहनों का परिचालन जन–जीवन एवं संपत्ति की क्षति के जोखिम से भरा था।

(कंडिका 4.10)

चार जिला परिवहन कार्यालयों में, 7,498 व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस अयोग्य व्यक्तियों को स्वीकृत किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 15.75 लाख के राजस्व की हानि हुई एवं इसमें सड़क सुरक्षा का मुद्दा भी सन्निहित था।

(कंडिका 4.11)

V. अन्य कर प्राप्तियाँ

'मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण' की समीक्षा से निम्नलिखित त्रुटियाँ संसूचित हुईः

- निबंधन विभाग एवं अन्य लोक कार्यालयों के बीच समन्वय के अभाव के फलस्वरूप नमूना जाँचित जिलों में वर्ष 2004–05 से 2008–09 के दौरान ₹ 1.42 करोड़ के मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 5.2.8)

- संदर्भित मामलों का निष्पादन लंबित रहने तथा विलेखों के क्रियान्वयन का निष्पादन न होने के कारण अंतिम रूप दिये गये, संदर्भित और जब्त किए गए मामलों में हुए मुद्रांक शुल्क की कमी की वसूली नहीं की जा सकी जिसके फलस्वरूप ₹ 8.57 करोड़ का सरकारी राजस्व अवरूद्ध हुआ।

(कंडिका 5.2.10)

- आंतरिक लेखापरीक्षा कमजोर थी, जैसा कि विभागीय निरीक्षणों की कमी एवं आंतरिक लेखापरीक्षा के अभाव से प्रमाणित होता है।

(कंडिका 5.2.12)

VI. कर भिन्न प्राप्तियाँ

वर्ष 2008–09 के दौरान 14 जिला खनन कार्यालयों में, वैध स्रोतों के इतर खनन के मामलों की जाँच एवं पता लगाने के लिए संबंधित कार्य विभागों से प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' की प्रतियाँ मंगाने में विफलता के फलस्वरूप ₹ 23.92 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

(कंडिका 6.3)

पाँच जिला खनन कार्यालयों में, वर्ष 2008–09 के ईंट मौसम के दौरान 230 ईंट भट्ठे समेकित रॉयल्टी की राशि का भुगतान किए बगैर/आंशिक भुगतान कर परिचालित थे, जिसके फलस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ की रॉयल्टी की वसूली नहीं/कम हुई।

(कंडिका 6.4.1)

पाँच सिंचाई प्रमण्डलों में, वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के दौरान प्रमण्डलों द्वारा खरीफ का एक लाख हेक्टेयर एवं रबी का 0.45 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि की खतियानी तैयार नहीं की गई थी। इसके फलस्वरूप ₹ 2.51 करोड़ के जल कर के माँग का सृजन एवं संग्रहण नहीं हुआ।

(कंडिका 6.8)